अब होगा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन का गठन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर बाकी महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना और रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के सुझाव के आधार पर यह फैसला किया गया है। इसके तहत मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से एकल विशेष प्रयोजन साधन (सिंगल स्पेशल परपज व्हैकिल) गठित किया जाएगा। इस फैसले से कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर आदि महानगरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल परियोजना को जमीन पर उतारने में सहूलियत होगी।

पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना में आवेदन की तारीख बढ़ी : कैबिनेट ने अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ों को छोड़कर) के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना में आवेदन पत्र जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अभी तक शादी अनुदान योजना के अंतर्गत मार्च 2019 में हुई बेटियों की शादी के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही हेतु समय सीमा 31 मई थी जिसे बढ़ाकर अब 30 जून, 2019 किया गया है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है।

गन्ना पर्यवेक्षकों की सेवा शर्तों में संशोधन : गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षकों के संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली-1979 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। संशोधन के लिए कैबिनेट के समक्ष संशोधित प्रस्तावित नियमावली-2019 पेश की गई थी।

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए 45.68 करोड़ की मंजूरी : व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए वर्ष 2018-19 में 45.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।